राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
जी 3/1, अम्बेडकर भवन, सिविल लाईन रेल्वे क्रॉसिंग के पास, जयपुर

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017–18/सान्याअवि/ 8191 दिनांक : 30-11-2018

परिपत्र

शैक्षणिक सत्र 2018–19 में उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल /शिक्षण संस्थाओं आदि के लिए दिशा–निर्देश जारी किये जाते है ।

1. प्रशासनिक विभाग द्वारा अपने अधीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल का SSO पोर्टल पर ऑनलाईन सत्यापन किए जाने के उपरान्त ही संबंधित विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उनके अधीन संचालित होने वाले एवं उनसे मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व उनके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों/पाठ्यक्रम हेतु आवंटित सीटों का ऑनलाईन सत्यापन कर सकेंगे।
2. प्रशासनिक विभाग द्वारा जिन विश्वविद्यालयों का पोर्टल पर अनुमोदन/सत्यापन किया गया है जो कि पोर्टल पर उपलब्ध दस्तावेज एवं विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए अण्डरटेंकिग प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किए गए दस्तावेज यदि गलत अथवा संदेहास्पद पाए जाते हैं तो उसका समस्त दायित्व संबंधित विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी का होगा।
3. प्रशासनिक विभागों से अपेक्षा है कि वर्ष 2018–19 एवं भविष्य में गठित होने वाले नवीन विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल एवं नवीन पाठ्यक्रम संचालित होने की स्थिति में उनका सत्यापन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
4. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा उनसे संबंधित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं एवं उनके द्वारा संचालित पाठयक्रमों का यथासमय छात्रवृति पोर्टल **www.scholarship.rajasthan.gov.in** पर ऑनलाइन **सत्यापन** किया जाऐगा।
5. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल के अधीन शैक्षणिक संस्थायें अपने से संबंधित विश्वविद्यालयों एवं बोर्ड से संपर्क कर ऑनलाईन उक्त सत्यापन संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे।
6. विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउन्सिल द्वारा संबंधित संस्थान का ऑनलाइन सत्यापन का कार्य निर्धारित समयावधि से पूर्व नहीं होने की दशा में **उस संस्थान के विद्यार्थियों द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्र नहीं किए जा सकेंगे। इसके लिए संबंधित शैक्षणिक संस्थान, विश्वविद्यालय एवं बोर्ड जिम्मेदार होंगे।**
7. संबंधित शैक्षणिक संस्थान द्वारा कौन–कौनसे पाठयक्रमों का संचालन किया जा रहा है, उनका विवरण छात्रवृति पोर्टल पर अंकित किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही पाठ्यक्रमों की मान्यता/सम्बद्धता संबंधी दस्तावेजों की प्रतियां भी पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा। यदि पाठ्यक्रमों में परिवर्तन/संशोधन होता है तो संशोधित पाठ्यक्रमों की प्रतियां छात्रवृति पोर्टल पर अपलोड किया जाना आवश्यक होगा।
8. शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा वर्षवार एवं मदवार ली जा रही निम्नलिखित फीस की राशि का फीस की रसीद पर विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक है ताकि उत्तर मैट्रिक छात्रवृति के विद्यार्थी को अनुमत छात्रवृति राशि का पुर्नभरण करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो :–

   1. पंजीकरण शुल्क (Registration Fee) 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fee) 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fee) 4. खेल–कूद शुल्क (Games Fee) 5. संगठन (यूनियन) शुल्क (Union Fee) 6. पुस्तकालय शुल्क (Library Fee) 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fee) 8. परीक्षा शुल्क (Examination Fee)

10. शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रत्येक आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों अपने रिकार्ड से जांच पश्चात् अग्रेषण की कार्यवाही की जावेगी।
11. अगर शैक्षणिक संस्थान को विद्यार्थी द्वारा ऑनलाईन प्रेषित सूचना में किसी प्रकार की कोई त्रुटि ज्ञात होती है तो उनके द्वारा ऐसे आवेदन पत्र में ऑनलाईन आक्षेप अंकित किया जावेगा।
12. संस्थान द्वारा ऑनलाईन आक्षेप करने के उपरान्त आक्षेपित आवेदन पत्र संबंधित विद्यार्थी को आक्षेप पूर्ति हेतु ऑनलाईन उपलब्ध होगा।
13. विद्यार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में आक्षेप की पूर्ति नहीं की जाती है तो उनका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा, इसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। आवेदन निरस्त होने के उपरान्त यदि आवेदन पत्र आमंत्रित करने हेतु छात्रवृति पोर्टल खुला है तो विद्यार्थी को पुनः पंजीकरण कर अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, अन्यथा नहीं।
14. विद्यार्थी द्वारा जान–बूझकर मिथ्या तथ्य प्रस्तुत कर छात्रवृति प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और इसकी जानकारी संस्थान को प्राप्त होती है तो संस्थान द्वारा ऐसे विद्यार्थी का आवेदन पत्र स्थाई रूप से निरस्त कर दिया जाए। ऐसा करते समय यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि स्थाई रूप से निरस्त आवेदन पत्रों को किसी भी स्तर से पुनः प्रक्रियागत नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए किसी भी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।
15. मिथ्या तथ्य एवं गलत जानकारी के आधार पर उत्तर मैट्रिक छात्रवृति आवेदन ऑनलाईन अग्रेषित करने पर संबंधित संस्थान के विरूद्व आपराधिक कार्यवाही प्रस्तावित की जा सकती है। ऐसे शिक्षण संस्थानों को विभाग की ओर से दी जाने वाली छात्रवृति के लिए भविष्य में स्थाई रूप से ब्लैक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
16. **यदि शैक्षणिक संस्थान द्वारा आवेदन अग्रेषित करने के उपरान्त स्वीकृतकर्ता अधिकारी को जानकारी प्राप्त होती है कि वास्तविक तथ्यों में कोई फेरबदल कर या कोई तथ्य छुपाया जाकर है या किसी तथ्य को तोड–मरोड कर प्रस्तुत किया जाकर विभाग/सरकार को गुमराह करते हुए या छल–कपट कर बेइमानी के आधार पर छात्रवृति राशि प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी ने आवेदन किया है तथा उक्त विद्यार्थी की छात्रवृति स्वीकृत करने हेतु शिक्षण संस्था द्वारा अनुशंषा की गई है, तो विद्यार्थी एवं शिक्षण संस्थान का उक्त कृत्य भारतीय दण्ड संहिता की धारा 177, 197, 198, 199, 200, एवं 420 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। ऐसे कृत्य करने पर विद्यार्थी, संबंधित शिक्षण संस्था के संस्था प्रधान अथवा छात्रवृति हेतु प्राधिकृत अधिकारी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इन धाराओं में दोषी पाये जाने संबंधित को 3 से 7 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।**
17. उत्तर मैट्रिक छात्रवृति संबंधित विस्तृत दिशा–निर्देश एवं जानकारी तथा आवेदन की प्रक्रिया **www. scholarship.rajasthan.gov.in** पर देखी जा सकती है।

(कृष्ण कुणाल)
आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 9(4)उ.मै.छा./2017–18/सान्याअवि/ 81902–82000 दिनांक : 30–11–2018

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त सचिव (पीसी), माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिक एवं संचार/श्रम एवं नियोजन/सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग/(माध्यमिक/प्राथमिक) शिक्षा विभाग जयपुर।
6. आयुक्त कॉलेज शिक्षा निदेशालय, शिक्षा संकुल, जयपुर
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ठ शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. निदेशक, प्राथमिक/माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर
9. निदेशक संस्कृत शिक्षा, शिक्षा संकुल जयपुर।
10. निदेशक, तकनीकी शिक्षा/ निदेशक (प्रशिक्षण), प्राविधिक शिक्षा विभाग जोधपुर
11. राज्य सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, एन.आई.सी. राजस्थान
12. वरिष्ठ प्रोजेक्ट मैनेजर, राजस्थान सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राज. जयपुर।
13. जिला कलेक्टर/कोषाधिकारी (समस्त)
14. अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन)/देवनारायण, मुख्यावास
15. वित्तीय सलाहकार, मुख्यावास।
17. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (समस्त)
18. रजिस्ट्रार/डीन/निदेशक/प्रशासक, राजकीय/निजी विश्वविद्यालय/बोर्ड/काउंसिल, (समस्त).....
19. प्रबन्ध निदेशक/रजिस्ट्रार/निदेशक, (राज्य से बाहर की राजकीय/एवं मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थान.....
20. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/संभागीय संस्कृत शिक्षा अधिकारी समस्त.....
21. प्राचार्य राजकीय मेडिकल/स्नातकोत्तर /स्नातक महाविद्यालय समस्त.....
22. प्रधानाचार्य राजकीय पॉलोटेक्निक महाविद्यालय/राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय/राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय समस्त.....
23. अधीक्षक राजकीय/निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समस्त.....
24. संस्था प्रधान, राजकीय एवं मान्यता प्राप्त समस्त शिक्षण संस्थाऐं.....
25. अतिरिक्त निदेशक (IT) मुख्यावास को छात्रवृति पोर्टल पर उपरोक्तानुसार आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करवाने, बेवसाइड पर अपलोड करवाने तथा संबंधित समस्त को ई–मेल करवाने हेतु।
26. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास को उपरोक्तानुसार समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करवाने हेतु
27. प्रभारी अधिकारी (समस्त) निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर
28. उप निदेशक / सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समस्त). को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में स्थित समस्त शिक्षण संस्थाओं को अपने स्तर से सूचित करवाया जाना सुनिश्चित करें।
29. सहायक निदेशक (शिक्षा),सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज. जयपुर।
30. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र किशन)
अतिरिक्त निदेशक
(छात्रवृति एंव छात्रावास)